पत्रांक-1/पी0एम0सी0/629/2003- 529

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक ई0 सुमीर कुमार चटर्जी
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 13/06/2013.

विषय : बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम -292, 293 एवं 294 के अनुसार परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति के संबंध में दिशा निदेश।

प्रसंग : पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1/बी.-12/2003(पार्ट)- 5452(S) दिनांक 26.5.2006

महाशय,

बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 3.5 लाख रूपये, अधीक्षण अभियंता को 70 लाख रूपये तक के परियोजना तथा मुख्य अभियंता को बिना किसी सीमा के तकनीकी अनुमोदन एवं प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार प्रदत्त है । वृहद योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ आवश्यक मद को तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन आवश्यक मदों को अतिरिक्त मद के रूप में शामिल कर परियोजना को पूरा करना पड़ता है। परिमाणतरूप परियोजनाओं की लागत राशि में वृद्धि होती है एवं इसके पुनरीक्षण की भी आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति के मद्देनजर कार्य के व्यापक हित में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि बड़ी परियोजनाओं के प्राक्कलन की जॉच मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन, पटना के स्तर पर किया जाय। तदनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 1/बी.-12/2003(पार्ट)-5452(S) दिनांक 26.5.2006 के आलोक में परियोजना के तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति का अधिकार निदेशानुसार निम्नरूपेण विकेन्द्रित किया जाता है-

(क) बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के अनुरूप कार्यपालक अभियंता को 3.5 लाख रू0 तथा अधीक्षण अभियंता को 70.00 लाख रू0 तक की परियोजना का तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा ।

(ख) क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को 10.00 करोड़ रू0 तक के परियोजनाओं का तकनीकी अनुमोदन/प्रावैधिक स्वीकृति देने का अधिकार होगा ।

(ग) 10.00 करोड़ रू0 के लागत से अधिक के परियोजना का तकनीकी अनुमोदन तथा प्रावैधिक स्वीकृति का अधिकार मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपाकंण संगठन, पटना में निहित रहेगा । इस परियोजनार्थ केन्द्रीय रूपाकंण संगठन, पटना आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेगें ।

उपरोक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए तथा अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाए।

विश्वासभाजन,

13/6/2013

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण) ।